



वर्ष – 2022–2023

सीलबन्द – निविदा दस्तावेज

कार्य का नाम – बल्लूपुर फ्लाई ओवर के समस्त पिलर एवं हरिद्वार बाईपास रेलवे क्रॉसिंग फ्लाई ओवर के पिलर सं०-1 से 5 एवं 14 से 18 के मध्य पार्किंग संचालित किये जाने हेतु संलग्न ले-आऊट के अनुसार सीलबन्द – निविदा आमंत्रित प्रपत्र।

**नगर निगम देहरादून।**

ई-मेल आई०डी०-nagarnigam.ddn@gmail.com  
वेबसाइट – www.nagarnigamdehradun.com

(1)

## अनुक्रमांक तालिका

क्र.सं.	विवरण	पेज सं०
1	निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथि एवं समय	3
2	कार्य का नाम	3
3	कार्य का विवरण	3-4
4	निविदा हेतु पात्रता/अर्हता	4
5	निविदा प्रक्रिया एवं निर्देशन	4-5
6	स्कोप ऑफ वर्क एवं शर्तें	5
7	निविदा शुल्क	6
8	धरोहर राशि	6
9	कार्यपूर्ति प्रतिभूति	6
10	निविदा विधि	6-7
11	पैनल्टी	7-8
12	विवाद की स्थिति	8
13	निविदा स्वीकार/स्वीकृति	8
14	क्षतिपूर्ति	8
15	कार्य आदेश	8
16	कार्य अवधि	8
17	निविदा वैधता	8
18	विलम्ब से प्राप्त निविदा	8
19	सीलबन्द निविदा का प्रकाशन वेबसाईट का विवरण	8-9
<b>संलग्नक</b>		
20	संलग्नक-1 वित्तीय बिड बी0ओ0क्यू0	10
21	संलग्नक-2 निविदा प्रेषित किये जाने से पूर्व अभिलेख जांच सूची (चैक लिस्ट)	11
<b>अनुलग्नक</b>		
22	अनुलग्नक -1 शर्तों एवं प्रतिबन्धों की स्वीकारोक्ति	12
23	अनुलग्नक -2 ले-आउट प्लान	13-14

## शीलबन्द निविदा दरतावेज

### 1. शील बन्द निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथि एवं समय:

- निविदा सूचना प्रकाशित करने की तिथि - 24/12/2022
- निविदा भरे जाने की अन्तिम तिथि - 07/1/23 समय अपरान्ह 2 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र क्रय करने की अन्तिम तिथि - 6-1-23 सांय 4.00 बजे तक।
- तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि/समय - 7-1-23 सांय 4 बजे।

### 2. कार्य का नाम:

- बल्लूपुर फ्लाई ओवर के समस्त पिलर एवं हरिद्वार बाईपास रेलवे क्रॉसिंग फ्लाई ओवर के पिलर सं0-1 से 5 एवं 14 से 18 के मध्य पार्किंग का संचालन संलग्न ले-आऊट के अनुसार।

### 3. कार्य का विवरण :

- नगर निगम द्वारा दो स्थलों पर पार्किंग कार्य संचालित करवाने हेतु संलग्न ले-आऊट के अनुसार सम्भावित निविदादाताओं से शीलबन्द निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं:-

#### क्रम संख्या

#### पार्किंग स्थल का नाम

1. बल्लूपुर फ्लाई ओवर के समस्त पिलर एवं हरिद्वार बाईपास रेलवे क्रॉसिंग फ्लाई ओवर के पिलर सं0-1 से 5 एवं 14 से 18 के मध्य पार्किंग का संचालन संलग्न ले-आऊट के अनुसार।

- पार्किंग की अवधि दिनांक 11-1-23 जनवरी 2023 से दिनांक 10-1-25 तक दो वर्ष के लिये मान्य होगी।
- निविदादाता द्वारा उक्त पार्किंग में पर्ची काटने हेतु इलैक्ट्रॉनिक पी0ओएस0 मशीन का प्रयोग किया जायेगा।
- पार्किंग स्टैण्ड पर सफल निविदादातों को नगर निगम द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दरों को 6 X 4 के 06 बोर्ड अपने व्यय पर जनता के सूचनार्थ लगाने होंगे। उक्त बोर्ड को अनुबन्ध अवधि तक अनुरक्षित रखेगा।
- नगर निगम द्वारा पार्किंग हेतु निर्धारित दरें।
- दो पहिया वाहन की निर्धारित पार्किंग दरें

प्रथम एक घन्टे की पार्किंग दर रू0-15 प्रतिवाहन।

एक से तीन घन्टे तक रू0-30 प्रतिवाहन।

तीन घन्टे से अधिक रू0-50 प्रतिवाहन।

- चार पहिया वाहन की पार्किंग दरें

प्रथम एक घन्टे की पार्किंग दर रू0-30 प्रतिवाहन।

एक से तीन घन्टे तक रू0-50 प्रतिवाहन।

तीन घन्टे से अधिक रू0-100 प्रतिवाहन।

- नगर निगम को अधिकार होगा कि वह दो पहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन हेतु निर्धारित पार्किंग शुल्क को किसी भी समय बढ़ा सकता है। शुल्क बढ़ाने के बाद पार्किंग हेतु निर्धारित 2 वर्ष की अवधि में से अवशेष बची पार्किंग /अनुबन्ध अवधि का कुल निर्धारित मूल्य को उसी अनुपात में बढ़ाया जाएगा, जो सम्बन्धित के द्वारा नगर निगम में जमा किया जाएगा।

4. निविदा हेतु पात्रता/ अर्हता :

- निविदादाता के पास निविदा अवधि के अन्तर्गत वैध कम्पनी/फर्म पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- निविदादाता के पास पेन कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- निविदादाता उत्तराखण्ड का नागरिक होना चाहिये।
- निविदादाता के पास रू0-40 लाख की हैसियत होना अनिवार्य है जो कि 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिये।
- निविदादाता फर्म को किसी संस्था से ब्लैक लिस्टेड न हो, का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- निविदादाता फर्म को पार्किंग संचालित करने का न्यूनतम 01 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है। अनुभव सम्बन्धी आवश्यक प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- नगर निगम देहरादून के डिफाल्टर/बकायेदार ठेकेदार निविदा में प्रतिभाग करने के पात्र नहीं होंगे।
- निविदादाता फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 का टर्न ओवर सम्मिलित कर रू0-40 लाख होना चाहिए, जो कि सी0ए0 द्वारा प्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य है।
- इच्छुक फर्म/निविदादाता/संस्था/ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य है।
- चयनित निविदादाता को स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर निविदा की धनराशि पर नगर निगम देहरादून द्वारा निर्धारित स्टॉम्प पेपर जमा कर अनुबन्ध पूर्ण करना होगा।
- निविदादाता द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर निविदा निरस्त करने एवं उसकी जमानत धनराशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार निविदा समिति को होगा।

5. निविदा प्रक्रिया एवं निर्देशन :

प्रक्रिया:-

- सर्वप्रथम तकनीकी निविदा को खोला जायेगा तथा तकनीकी निविदा में उपयुक्त पाये जाने पर ही वित्तीय प्रस्ताव को खोला जायेगा।
- निविदा केवल सीलबन्द निविदा के अनुसार ही प्रस्तुत की जानी है। सभी प्रपत्रों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है। विशिष्टियों अथवा विशिष्ट तथ्यों को स्पष्ट किये जाने हेतु विविधवत् प्रमाणित अतिरिक्त सीट संलग्न की जा सकती है।
- निविदादाताओं को तकनीकी प्रस्ताव के साथ बैंक लिस्ट के अनुसार दस्तावेज जमा किया जाना अनिवार्य है। बिना पूर्ण अभिलेखों के निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

## निर्देशन:-

- किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।
- निविदादाता द्वारा भुगतान, जुर्माना तथा नियम व शर्तों आदि में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं होगा।

### 6. स्कोप ऑफ वर्क एवं शर्तें :

- नगर निगम द्वारा यदि पार्किंग हेतु ANPR (Automatic Number Plate Recognition) based computer system उपलब्ध कराया जाता है तो सफल निविदादाता को उसी अनिवार्यता से लागू करना होगा एवं पार्किंग शुल्क इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही वसूल करना होगा। जिसके आधार पर पार्क किये वाहनों की संख्या का संकलित विवरण नगर निगम देहरादून को उपलब्ध कराया जाएगा।
- पार्किंग स्थल पर रजिस्टर भेन्टेन करना होगा तथा मासिक रिपोर्ट नगर निगम को उपलब्ध कराया जाएगा।
- पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरे, साफ-साफई, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था निविदादाता द्वारा अपने व्यय पर स्वयं करनी होगी, यदि पार्किंग क्षेत्र में गन्तगी पायी जाती है और नगर निगम द्वारा साफई आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है तो उसमें आने वाले व्यय को निविदादाता को वहन करना होगा।
- पार्किंग में पार्क गाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
- संदिग्ध वाहन/वाहन चालकों की सूचना तत्काल पुलिस को दी जानी अनिवार्य होगी जिसका उत्तरदायित्व पार्किंग संचालक का होगा।
- पार्किंग स्थल से वाहन चोरी की दशा में वाहन मालिक कन्ज्यूमर फोरम में वाद दायर कर सकता है तथा कन्ज्यूमर फोरम द्वारा लिया गया निर्णय ही निविदादाता को मान्य होगा।
- पार्किंग स्थल पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनओजीटीओ) व अन्य माओ न्यायालयों के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
- यातायात एवं जनसुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर निविदादाता को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
- सफल निविदादाता द्वारा पार्किंग में लगाये गये कर्मचारियों को निगम द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में भेजना अनिवार्य होगा। ड्रेस कोड में खड़े होंगे तथा पार्किंग संचालक के नाम विवरण सहित उपलब्ध करायेगा व बदलाव होने पर सूचित करना होगा।
- निविदादाता द्वारा बीच में पार्किंग का कार्य छोड़ने अथवा निविदा भंग किये जाने की दशा में उनके द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा निविदा अन्य किसी भी एजेन्सी को दे दिया जायेगा तथा विगम को जो भी छति होगी उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से भू-राजस्व के नकारा के रूप में वसूल कर ली जायेगी।

7. निविदा शुल्क :

- सीलबन्द-निविदा फार्म शुल्क रू0 1000+जी0एस0टी0 18 प्रतिशत

8. धरोहर राशि :

- निविदा हेतु धरोहर राशि के रूप में रू0 1,10,000/- (एक लाख दस हजार मात्र) की धनराशि का एफ0डी0 आर0/सी0डी0आर0 जो नगर निगम, देहरादून के नाम बंधक हो, को तकनीकी विड में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- धरोहर राशि/निविदा शुल्क सम्बन्धी रसीद/एफ0डी0 आर0/सी0डी0आर0 की छायाप्रति तनकनीकी निविदा सम्बन्धी दस्तावेजों के साथ सील बन्द लिफाफे में डालकर तनकीकी निविदा अंकित करते हुए तथा वित्तीय निविदा सम्बन्धी प्रपत्र अलग लिफाफे में रखते हुए वित्तीय निविदा अंकित करते हुए दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे के अन्दर रखकर सीलबन्द कर निर्धारित तिथि व समय तक उपलब्ध करायेंगे।

9. कार्यपूर्ति प्रतिभूति

- अनुबन्ध के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदादाता फर्म जिसके पक्ष में अनुबंध दिया जायेगा, से कार्यपूर्ति प्रतिभूति ली जायेगी। अनुबंध में निहित धनराशि के मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्यपूर्ति अनुबंध मूल्य के 5 प्रतिशत होगी, कार्यपूर्ति प्रतिभूति वाणिज्य बैंक से निर्गत आदाता के नाम डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारन्टी के मूल्य में निविदा प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- कार्यपूर्ति धरोहर निविदादाताओं के संविदा से सम्बन्धित सभी दायित्व सम्मिलित है। कार्य अवधि पूर्ण होने के दिवस से 60 दिवस तक वैध होना आवश्यक है।
- सफल निविदादाता द्वारा कार्यपूर्ति धरोहर प्रस्तुत करने के बाद उसकी निविदा धरोहर वापस कर दी जायेगी। शेष निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा की अन्तिम तिथि 30 दिन के अन्दर अवमुक्त कर दी जायेगी।

10. निविदा विधि :

- इच्छुक निविदादाताओं से द्विस्तरीय सीलबन्द निविदा आमंत्रित है:-
  - (a) — तकनीकी प्रस्ताव – निविदा से सम्बन्धित दस्तावेज/शपथ पत्र/धरोहर राशि/टेण्डर फीस एवं कार्य से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराये जायेंगे।
  - (b) — वित्तीय प्रस्ताव – वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा जो कि निविदा पत्र के साथ संलग्न पर बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगा।

तकनीकी निविदा सम्बन्धी विवरण:-

- सीलबन्द निविदा निर्धारित तिथि व समय तक उपलब्ध करायेंगे।
- निविदा के साथ निविदा शुल्क की धनराशि रू0-1000 + 18 जी0एस0टी0 सहित का भुगतान दिये गये विवरण के अनुसार किया जाना है।

- भुगतान पर्ची/रसीद को तकनीकी दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय स्थाई निवास प्रमाण पत्र, बैंककार्ड कार्ड, जी०एस०टी० नम्बर की छायाप्रति, एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० की छायाप्रति तथा 2 स्वयं सत्यापित फोटो एवं एक वर्ष का पार्किंग कार्य का अनुभव तकनीकी निविदा के साथ सील बन्द लिफाफे में उपलब्ध करना अनिवार्य है।
- निविदा के धरोहर के रूप में रू०-1,10,000/-की धनराशि की सी०डी०आर०/एफ०डी०आर० की छायाप्रति तकनीकी बिड में संलग्न करनी अनिवार्य होगी जो कि नगर निगम देहरादून के नाम प्लेज होगी।
- तकनीकी निविदा में सफल व्यक्तियों/फर्मों को वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व निर्धारित धनराशि की एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० को मूल में नगर निगम में जमा कराना अनिवार्य होगा।

#### वित्तीय प्रस्ताव :-

- सील बन्द निविदा प्रक्रिया में उक्त कार्य हेतु बी०ओ०क्यू० के अनुसार दरें प्रस्तुत की जायेंगी। (संलग्न-1 बी०ओ०क्यू०)
- उच्चतम दरें प्रतिशत के आधार निविदादाता फर्म का चयन किया जायेगा।
- वित्तीय निविदा हेतु तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

#### वित्तीय निविदा सम्बन्धी विवरण:-

- नगर निगम द्वारा पार्किंग हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि रू०-11,00,000/- (शब्दों में रू०-ग्यारह लाख मात्र) निर्धारित है। रू०-11,00,000/- से अधिक वित्तीय निविदा अंकित करने वाले निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी।
- निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर दो वर्ष हेतु स्वीकृत पार्किंग शुल्क की धनराशि का 50 प्रतिशत कार्यादेश प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर तथा अवशेष 50 प्रतिशत माह जुलाई 2023 में निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी।
- निविदादाता को पार्किंग हेतु स्वीकृत निविदा धनराशि पर 18 प्रतिशत जी०एस०टी० का भुगतान अतिरिक्त करना होगा।
- निविदादाता को पार्किंग का कार्य दिनांक 15-1-25 तक सुचारू रूप से पूर्ण करने के उपरान्त जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
- निविदादाता को स्वीकृत निविदा धनराशि की 2 प्रतिशत धनराशि के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा तथा 2 प्रतिशत टी०सी०एस० पृथक से देय होगा।

#### 11. पैनल्टी :

- निर्धारित तिथि तक पार्किंग की धनराशि जमा न करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज राशि पृथक से देय होगा।

- निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण व अतिक्रमण नहीं करेगा तथा न ही किसी अन्य को सबलेट करेगा। ऐसा करने पर प्रतिवार रुपये – 20,000 (बीस हजार) की पेनल्टी लगायी जायेगी।
  - उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर राशि जब करते हुए भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
  - बिना पर्ची के पार्किंग शुल्क लेने पर रुपये – 1000 (एक हजार) प्रति वाहन पेनल्टी लगायी जायेगी।
12. विवाद की स्थिति :
- फर्म तथा नगर निगम के मध्य कोई विवाद होने पर उसका निपटारा नगर निगम स्तर पर किया जायेगा।
  - किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।
13. निविदा स्वीकार/ स्वीकृति :
- किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम, देहरादून के पास सुरक्षित है।
14. क्षतिपूर्ति :
- किसी भी कारणवश वाहन चोरी/क्षति होने पर पूर्ण जिम्मेदारी/ जबाबदेही सफल निविदादाता फर्म/व्यक्ति की होगी।
  - निविदा प्राधिकारी कार्यालय से किसी भी वाहन/व्यक्ति की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जायेगा।
15. कार्य आदेश :
- यदि सफल निविदादाता फर्म द्वारा अनुबंध/कार्य आदेश के बाद निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करता अथवा संतोषजनक रूप से पार्किंग संचालित नहीं कर पाता है अथवा शर्तों का उल्लंघन करता है तो निविदादाता की धरोहर राशि जब करते हुए उसका अनुबंध एवं निविदा को निरस्त किया जायेगा अथवा फर्म को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।
16. कार्य अवधि :
- उक्त कार्य की अवधि 02 वर्ष होगी।
17. निविदा वैधता :
- निविदा की वैधता 45 दिन की होगी।
18. विलम्ब से प्राप्त निविदा :
- देर से प्राप्त (निर्धारित तिथि एवं समय के बाद) निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
19. सील बन्द निविदा का प्रकाशन :
- सीलबन्द निविदा सम्बन्धी सूचना नगर निगम की वेबसाइट [www.nagarnigamdehradun.com](http://www.nagarnigamdehradun.com) पर भी उपलब्ध होगी।
  - सीलबन्द निविदा प्रक्रिया में विस्तार एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की दशा में नगर निगम की वेबसाईटर पर शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जायेगा।



20. चैक लिस्ट :

- सील बन्द निविदा प्रकिया में प्रतिभाग करने हेतु चैक लिस्ट के अनुसार आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा। इसके अतिरिक्त निविदा में यदि कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशन किया गया है तो उसका अनुपालन भी आवश्यक है।

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बल्लूपुर फ्लाईओवर, तथा हरिद्वार वार्डपास निकट रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग का संचालन संलग्न ले-आऊट के अनुसार।

(वित्तीय बिड-BOQ प्रपत्र)

क्र.सं.	निविदादाता का नाम व पता	उच्चतम् दर (18 प्रतिशत जी०एस०टी० एवं 2 प्रतिशत टी०सी०एस० अतिरिक्त)

सीलबन्द निविदा प्रेषित किये जाने से पूर्व अभिलेख जांच सूची (चैक लिस्ट) :

क्रम सं०	अभिलेख का विवरण	संलग्न किया (हाँ/नहीं)	विवरण/अभियुक्ति
1.	स्थाई निवास प्रमाण पत्र तथा 2 स्वयं सत्यापित फोटो		
2.	निविदा क्रय करने सम्बन्धी रसीद का विवरण		
3.	निविदा हेतु धरोहर राशि के रूप में ₹ 1,10,000 (एक लाख दस हजार मात्र) की धनराशि का एफ०डी० आर०/सी०डी०आर०/डी०डी० जो नगर निगम, देहरादून के नाम बंधक हो, को तकनीकी विड में संलग्न करना अनिवार्य होगा।		
4.	वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 का टर्न ओवर ₹ 40 लाख होना चाहिए, जो कि सी०ए० द्वारा प्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य है।		
5.	जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र		
6.	पैन कार्ड की छाया प्रति		
7.	गत 03 वित्तीय वर्ष (2019-20, 2020-21 एवं 2021-22) का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र		
8.	100 ₹ के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा निर्गत शपथ-पत्र कि निविदादाता का नाम काली सूची में सम्मिलित नहीं है।		
9.	1 वर्ष का पार्किंग संचालित करने का कार्य अनुभव।		
10.	शर्तों एवं प्रतिबन्धों की स्वीकारोक्ति सम्बन्धी प्रपत्र (अनुलग्नक -1)		

शर्तों एवं प्रतिबन्धों की स्वीकारोक्ति

मे ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... फर्म का नाम.....  
 ..... निवासी/पता..... शपथ करता हूँ कि नगर निगम देहरादून द्वारा


पार्किंग सम्बन्धी सीलबन्द निविदा संख्या - ..... दिनांक ..... की समस्त शर्तें मुझे मान्य हैं तथा यदि मेरी निविदा स्वीकृत होती है तो निविदा अविधि में समस्त नियमों का पालन करूगी/करूगां तथा यदि मेरे द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है। तो मेरी फर्म को काली सुची में सम्मिलित किये जाने तथा धरोहर राशि जब्त किये जाने तथा मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाही किये जाने हेतु नगर निगम देहरादून स्वतंत्र है।

(निविदादाता का हस्ताक्षर)


नाम - .....

पता - .....

ले-आउट प्लान



Balapur Flyover




SCALE 1:100	DATE 19/08/2018	DRAWN BY TECHNICAL CONSULTING SERVICES (PVT) LTD.	SHEET NO. 1

## सार्वजनिक निविदा सूचना।

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित बल्लूपुर प्लाईओवर के नीचे समस्त पिलर पार्किंग तथा हरिद्वार बाईपास मार्ग निकट दीपनगर रेलवे क्रासिंग प्लाईओवर के नीचे पार्किंग हेतु दिनांक 11-01-23 से दिनांक 10-01-25 तक कुल 2 वर्ष के लिये निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 07-01-23 की अपराह्न 200 बजे तक तकनीकी एवं वित्तीय शीलबन्ध निविदाये आमंत्रित की जाती है। तकनीकी निविदाएं दिनांक 07-01-23 की साय 400 बजे गठित निविदा समिति के सम्मुख को खोली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06-01-23 तक साय 400 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र रु0-1180/- भूमि अनुभाग में जमा कराकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड करेगा उन्हें निविदा शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण नगर निगम की वेबसाईट [www.naggarinigaamdehradun.com](http://www.naggarinigaamdehradun.com) पर भी उपलब्ध है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

  
नगर आयुक्त  
नगर निगम, देहरादून


## कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक:- 1613 / भूमि-2022,

दिनांक:- 23/12/2022

प्रतिलिपि:-

1. सम्पादक "राष्ट्रीय सहारा हिन्दी दैनिक" को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित कराये एवं बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
2. सम्पादक "द पार्सनियर" अंग्रेजी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित कराये एवं बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
3. श्री मनीष पन्त आई0टी0 आफिसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नोटिस बोर्ड नगर निगम/कलैक्ट्रेट पर चस्पा हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

  
नगर आयुक्त,  
नगर निगम, देहरादून।